न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

(पीठासीन अधिकारीः— मेघना चौधरी, आर0ए0एस0)

नजरसानी प्रार्थना पत्र संख्याः— 26/2020 (2020/00026)

1. शिवकरण पुत्र देवीलाल, जाति जाट, निवासी ग्राम जेवल्या का बास तन बिचून, तहसील मौजमाबाद, जिला जयपुर ।

प्रार्थी

बनाम

1. सुवालाल पुत्र देवीलाल,
2. मांगीलाल पुत्र देवाराम,
3. कमलेश पुत्र धन्नाराम,
4. सुरेन्द्र पुत्र धन्नाराम,
5. बीला पत्नि धन्नाराम,
6. सोनी देवी पुत्री धन्नाराम,
7. सरोज देवी पुत्री धन्नाराम,
8. मवली पुत्री देवाराम,
9. कमला पुत्री देवाराम,
10. सुजा पुत्री देवाराम,
11. रामलाल पुत्र देवाराम,
12. शंकर लाल पुत्र हरलाल,
13. बोदूराम पुत्र० हरलाल,
14. अर्जुनलाल पुत्र हरलाल,
15. गलकू पत्नि हरलाल,
16. बिमला पुत्री हरलाल,
17. बालूराम पुत्र मोहरू,
18. जयराम पुत्र मोहरू,
19. नन्दलाल पुत्र मोहरू,
20. जीवणराम पुत्र चौथू,
21. सीताराम पुत्र चौथू,
    समस्त जाति जाट, निवासी जैवल्याका बास तन बिचून तह0 मौजमाबाद, जिला जयपुर ।
22. प्रबंधक सेन्ट्रल कॉपरेटिव लि0 शाखा, सांभरलेक, जिला जयपुर ।
23. उप पंजीयक मौजमाबाद, जिला जयपुर ।
24. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, मौजमाबाद, जिला जयपुर ।

अप्रार्थीगण

<u>नजरसानी प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 229 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध आदेश न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर दिनांक 6.8.2018 अंतर्गत अपील संख्या 00232/2018 बउनवान सुवालाल बनाम शिवकरण.</u>

<u>उपस्थितः—</u>

1. श्री दिलीपसिंह, वकील प्रार्थी ।
2. श्री राकेश अरोड़ा, वकील अप्रार्थी संख्या 1.
3. अप्रार्थीगण संख्या 2 लगायत 24 की तलबी बंद ।
4. श्री विकास पाराशर, राजकीय अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 21.

निर्णय

दिनांकः— 12.10.2021

1. प्रार्थी ने नजरसानी प्रार्थना पत्र न्यायालय हाजा द्वारा अपील संख्या 00232/2018 में पारित निर्णय दिनांक 6.8.2018 के विरूद्ध इस न्यायालय मे पेश किया है ।

2. प्रार्थी/वादी ने अधी0न्याया0 सहायक कलक्टर, दूदू के समक्ष एक राजस्व वाद बाबत् खातेदारी घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा का प्रस्तुत किया और साथ में एक प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 राज0काश्त0अधि0 1955 के तहत पेश कर कथन किया कि विवातिद आराजियात वाकै ग्राम सीतारामपुरा, तहसील मौजमाबाद में स्थित है जिसके प्रार्थी व अप्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 21 रिकार्डेड खातेदार काश्तकार होकर मौके पर काबिज काश्त चले आ रहे है । विवादित आराजियात पक्षकारान की अविभाजित आराजियात है लेकिन मौके पर आज से काफी वर्षो पूर्व ही उक्त आराजियात का प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 1 के पिता व अप्रार्थीगण संख्या 2 से 21 ने बाहमी बंटवारा कर लिया था तथा बंटवारे के अनुसार ही प्रार्थी व अप्रार्थीगण शांतिपूर्वक काबिज काश्त चले आ रहे है किन्तु विधिक बंटवारा नहीं होने से आये दिन प्रार्थी व अप्रार्थीगण के मध्य विवाद रहने लग गया है और अप्रार्थीगण प्रार्थी को अपने हिस्से की आराजी से बेदखल करने पर आमादा है तथा प्रार्थी अपने हिस्से में आराजी पर पर शौचालय बनवा रहा था तभी अप्रार्थी संख्या 1 ने विवादित आराजी प्रार्थी के उन्नत हिस्से की आराजी में रहवास हेतु शौचालय बनाने से मना किया और प्रार्थी के उन्नत हिस्से को बैचान करने की धमकी दी । अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अप्रार्थीगण को वाद के निस्तारण तक अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद करने का निवेदन किया । अधी0न्याया0 ने आदेश दिनांक 18.6.2018 के द्वारा प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अप्रार्थीगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद करने के आदेश पारित किये । अधी0न्याया0 के उक्त आदेश के विरूद्ध अप्रार्थी संख्या 1 ने एक अपील न्यायालय हाजा के समक्ष पेश की जिसे न्यायालय हाजा ने निर्णय दिनांक 6.8.2018 के द्वारा आंशिक रूप से स्वीकार कर सहायक कलक्टर, दूदू के आदेश दिनांक 18.6.2018 को निरस्त करते हुए विवादित आराजी पर किसी प्रकार का निमार्ण कार्य नहीं करने के आदेश पारित किये । न्यायालय हाजा के आदेश दिनांक 6.8.2018 के विरूद्ध प्रार्थी ने यह नजरसानी प्रार्थना पत्र पेश किया है ।

3. नजसानी प्रार्थना पत्र पर उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई ।

4. विद्वान वकील प्रार्थी ने बहस में कथन किया कि न्यायालय हाजा ने अपीलांट को बिना सुनवाई एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर दिये ही उसके विरूद्ध एकतरफा में आदेश पारित किया है जो विधिक प्रकिया के विपरीत होने से निरस्तनीय है । न्यायालय हाजा ने इस तथ्य पर ध्यान नहीं किया कि प्रार्थी विवादित आराजियात का खातेदार काश्तकार होकर मौके पर काबिज काश्त चला आ रहा है एवं पक्षकारों के मध्य पूर्व में हुआ आपसी सहमति बंटवारा दिनांक 17.11.2016 के तहत अपने हिस्से की आराजी पर काबिज काश्त चला आ रहा है और अपने हिस्से में आई आराजी पर केन्द्र सरकार की भारत स्वच्छता अभियान के तहत शौचालय का निर्माण कर रहा है । उक्त निर्माण में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं करने हेतु अधी0न्याया0 ने अप्रार्थी को जरिये अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया था जिसे न्यायालय हाजा ने सरसरी तौर पर निरस्त कर प्रार्थी को निर्माण नहीं करने हेतु पाबंद करने में त्रुटि कारित की है । न्यायालय हाजा ने इस बिन्दु पर भी गौर नहीं किया कि

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

अधी0न्याया0 ने प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र पर अपने आदेश दिनांक 18.6.20158 के द्वारा प्रार्थी के पक्ष में अंतरिम टी0आई0 जारी करते हुए अप्रार्थी को वास्ते तलबी नोटिस जारी किया गया जिस पर अप्रार्थी ने अधी0न्याया0 में उपस्थित होकर बिना किसी प्रकार की जवाबदेही प्रस्तुत किये ही अधी0न्याया0 के आदेश के विरूद्ध न्यायालय हाजा के समक्ष अपील पेश कर दी जो कि अंतरिम आदेश के विरूद्ध होने से अप्रार्थी की अपील संधारण योग्य नहीं थी । इसके बावजूद न्यायालय हाजा ने प्रार्थी को बिना नोटिस दिये एवं बिना सुनवाई का अवसर प्रदान किये आदेश पारित किया है जो प्राकृतिक एवं नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों के विपरीत होकर निरस्तनीय है । प्रार्थी विवादित आराजी का खातेदार काश्तकार होने के कारण अधी0न्याया0 ने प्रार्थी के पक्ष में प्रथम दृष्टया प्रकरण, सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णीय क्षति का बिन्दु साबित होने से अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की थी । न्यायालय हाजा ने सरसरी तौर पर आदेश पारित किया है जो विधिविरूद्ध है । अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत नजरसानी प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर न्यायालय हाजा द्वारा अपील संख्या 00232/2018 में पारित आदेश दिनांक 6.8.2018 निरस्त किया जावे ।

5. विद्वान वकील अप्रार्थी संख्या 1 ने बहस में कथन किया कि न्यायालय हाजा का आदेश विधिसम्मत् है । पक्षकारान के मध्य विवादित आराजियात के संबधं में विभाजन का वाद विचाराधीन है । बिना विधिक विभाजन के कोई भी सहखातेदार भूमि के विशेष भू–भाग पर निर्माण कार्य नहीं कर सकता है ना ही बैचान इत्यादि कर सकता है । पक्षकारों के मध्य पूर्व में आपसी सहमति से विभाजन हुआ अथवा नहीं इन सबका निस्तारण मूल वाद में बाद साक्ष्य होगा किन्तु अधी0न्याया0 ने आदेश दिनांक 18.6.2018 द्वारा प्रार्थी को अविभाजित आराजियात के विशेष भू–भाग पर निर्माण करने की स्वीकृति प्रदान कर दी है । इसी कारण न्यायालय हाजा ने अधी0न्याया0 का आदेश निरस्त कर प्रकरण अधी0न्याया0 को प्रतिप्रेषित किया है जो विधिसम्मत् है । बहस में यह भी कथन किया कि नजरसानी का स्कोप बहुत ही सीमित है । प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र में यह अंकित नहीं किया है कि न्यायालय हाजा के निर्णय में क्या त्रुटि रही है । नजरसीन के माध्यम से लिपिकीय त्रुटि अथवा कोई महत्वपूर्ण दस्तावेजी साक्ष्य अवलोकन से रहने की स्थिति में ही स्वीकार की जा सकती है । प्रार्थी दस्तावेजी साक्ष्यों प्रार्थना पत्र को साबित करने में असफल रहे है । अतः प्रार्थना पत्र नजरसानी खारिज किया जावे ।

6. हमनें उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया । प्रार्थी ने अधी0न्याया0 के समझ प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 राज0काश्त0अधि0 पेश कर कथन किया था कि प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 21 विवादित आराजियात के रिकार्डेड खातेदार काश्तकार होकर मौके पर काबिज काश्त चले आ रहे है । विवादित आराजियात अविभाजित है लेकिन वर्षो पूर्व ही प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 1 के पिता व अप्रार्थीगण संख्या 2 से 21 ने बाहमी बंटवारा कर लिया था तथा बंटवारे अनुसार काबिज काश्त है । प्रार्थी अपने हिस्से में आई आराजी पर शौचालय का निर्माण करवा रहा है जिसमें अप्रार्थीगण दखलदांजी कर रहे है । अतः अप्रार्थीगण को वाद के निर्णय तक अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे । अधी0न्याया0ने प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अप्रार्थीगण को जरिये अंतरिम अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद करने का आदेश दिनांक 18.6.2018 को पारित किया । अधी0न्याया0 के अंतरिम आदेश दिनांक 18.6.2018 के विरूद्ध अप्रार्थीगण/अपीलांटस द्वारा न्यायालय हाजा के समक्ष अपील संख्या 2018/00232 बउनवान सुवालाल बनाम शिवकरण पेश

किये जाने पर न्यायालय हाजा ने आदेश दिनांक 6.8.2018 को पारित कर अधी0न्याया0 का अंतरिम अस्थायी निषेधाज्ञा आदेश दिनांक 18.6.2018 निरस्त कर प्रकरण अधी0न्याया0 को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया कि उभयपक्ष को साक्ष्य एवं सुनवाई का अवसर देते हुए प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 राज0काश्त0अधि0 की तीनों महत्वपूर्ण बिन्दुओं का विवेचन कर प्रार्थना पत्र का गुणावगुण पर इस न्यायालय के आदेश की प्राप्ति से 30 दिवस की अवधि में निस्तारण करे । तब तक विवादित आराजी की मौके की यथास्थिति बनाये रखी जावे एवं विवादित आराजी में किसी प्रकार का निर्माण कार्य नहीं किया जावे । प्रार्थी ने अधी0न्याया0 के समक्ष स्वंय द्वारा शौचालय का निर्माण करवाया जाना अंकित किया है जबकि अधी0न्याया0 के समक्ष विभाजन का वाद विचाराधीन है । इन्ही तथ्यों को ध्यान में रखकर न्यायालय हाजा ने विवादित आराजी के मौके की यथास्थिति बनाये रखने तथा विवादित आराजी पर किसी प्रकार का निर्माण कार्य नहीं करने हेतु प्रार्थना पत्र के निस्तारण तक अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया है । प्रार्थी का नजरसानी में मुख्य आधार यह है कि उसे सुनवाई का अवसर प्रदान नहीं किया गया है । चूंकि अधी0न्याया0 के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत किया गया है तथा अप्रार्थीगण भी अधी0न्याया0 के समक्ष उपस्थित हो चुके है । ऐसी स्थिति में उभयपक्ष को सुनवाई एवं साक्ष्य का अवसर प्रदान किया जाकर प्रार्थना पत्र का गुणावगुण पर निर्णय कराया जाना न्यायोचित होने से अधी0न्याया0 द्वारा एकतरफा में पारित अंतरिम अस्थायी निषेधाज्ञा को निरस्त किया जाकर विवादित आराजी की यथास्थिति बनाये रखने एवं किसी प्रकार का निर्माण कार्य नहीं करने हेतु पाबंद किया है जो विधिसम्मत् आदेश है । नजरसानी का स्कोप बहुत ही सीमित है । न्यायालय हाजा के आदेश में क्या त्रुटि है प्रार्थी दस्तावेजी साक्ष्यों से साबित करने में पूर्णतया असफल रहे है । उपरोक्त विवेचनानुसार प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत नजरसानी प्रार्थना पत्र निरस्त योग्य पाया जाता है ।

7. अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत नजरसानी प्रार्थना पत्र निरस्त किया जाता है । पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो ।

(मेघना चौधरी)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

8. निर्णय आज दिनांक 12.10.2021 मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया ।

(मेघना चौधरी)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर